समानता

①

अवधारणा एवं अर्थ :- यद्यपि प्राचीन काल से ही समानता के सिद्धान्त को Plato ने Philosophy में विश्व के समक्ष रखा। किन्तु 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक समानता की अवधारणा उतनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी जितनी की स्वतन्त्रता को। वस्तुतः समानता की धारणा का उदय 1776 की 'अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा' एवं 1789 की 'फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति की घोषणा' के परिणामस्वरूप हुआ। अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "We hold this truth to be self evident that all men are created equal." इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रान्ति के घोषणा-पत्र में कहा गया है कि "Men are born equal and always continue free and equal in respect of their rights."

फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद से लोकतन्त्र के प्रसार एवं विकास के साथ-साथ समानता की अवधारणा भी उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गई। किन्तु फिर भी समानता के सिद्धान्त को प्रभावशाली रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का श्रेय समाजवादियों को है। आर्थिक समानता का नारा सर्वप्रथम समाजवाद की ही देन है। अब तो यह सर्वमान्य सत्य है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता निरर्थक है।

जहाँ तक समानता के अर्थ का प्रश्न है, सामान्यतया समानता से यह तात्पर्य लगाया जाता है कि, सभी मनुष्य समान ही उत्पन्न होते हैं तथा प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए ही उत्पन्न किया है अतः सभी के साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की पूर्ण समानता की कल्पना करना भ्रामक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार धरती की सतह समतल नहीं हो सकती उसी प्रकार पूर्ण समानता सम्भव नहीं हो सकती। लास्की ने भी लिखा है कि समानता का तात्पर्य किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव है तथा सबके लिए समान रूप से पर्याप्त सुअवसर का उपलब्ध होना है।

इस प्रकार समानता की सही परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है — समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिलें। राज्य सभी नागरिकों का जन्म, सम्पत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव किए बिना उनकी बुद्धि एवं व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए समुचित एवं समान अवसर प्रदान करें। साथ ही सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेद-भाव के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

समानता की कानूनी अवधारणा :— कानूनी समानता के दो अर्थ हैं (1) कानून के समक्ष समानता (2) कानून का समान संरक्षण। भारतीय संविधान में भी यह प्रावधान है कि "The State shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India."

इस प्रकार कानूनी समानता का सामान्य अर्थ यह है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। उनके बीच कानून के द्वारा किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

समानता की कानूनी अवधारणा की विशद एवं स्पष्ट विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है।

(क) ~~कानून के समक्ष समानता - वास्तव में यह सिद्धान्त ब्रिटिश सामान्य विधि~~

(क) कानून का समान संरक्षण — वास्तव में यह सिद्धान्त अमेरिकी संविधान की

यह सिद्धान्त कानूनी अधिकार का सकारात्मक पहलू है।

की देन है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय जा सकता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा - कानून के प्रयोग में किसी प्रकार का स्वेच्छाचारी भेद-भाव नहीं होना ही कानून द्वारा समान संरक्षण है।" सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुसार, "कानून के समक्ष संरक्षण का अर्थ यह नहीं कि सभी कानून समान प्रकृति के हों तथा उनका प्रभाव सर्वोपयोगी है और विधि-निर्माण हेतु राज्य की शक्तियों अथवा वस्तुओं में भेद-भाव तथा वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं। अर्थात कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य व्यक्तियों की पूर्ण समानता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जन्म, जाति या अन्य समान कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए स्त्रियों, बच्चों, अपाहिजों अथवा विस्थापितों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं।

- किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति देश के सामान्य न्यायालयों के अधीन माना जाएगा अर्थात न्यायालय अभियुक्त की जाति, जन्म, वंश, सम्पत्ति अथवा धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं करेगा।
- करों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि करों का बोझ प्रत्येक व्यक्ति के आमदनी के अनुसार पड़े।

~~यह स्पष्ट होता है कि समानता की कानूनी अवधारणा के उपरोक्त विवरण~~

(2a) कानून के समक्ष समानता — वास्तव में यह सिद्धान्त ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। यह सिद्धान्त कानूनी अधिकार का नकारात्मक पहलू है।

इस प्रकार समानता की कानूनी अवधारणा के उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए देश में Rule of law की स्थापना होनी चाहिए। जैसा कि ब्रिटिश व्यवस्था में देखने को मिलती है। आज अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशों ने उपरोक्त सिद्धान्तों को अपनाया है।

राजनीतिक अवधारणा — राजनीतिक समानता लोकतन्त्र का मुख्य तत्व है। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है कि, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

समानता की राजनीतिक अवधारणा — प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए विधान द्वारा कुछ शर्तें रख दी गई हैं। सभी नागरिकों को समान रूप से चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है। सभी नागरिकों को समान रूप से राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु शिक्षा, सेवा अथवा किसी अन्य विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेद-भाव किया जा सकता है। नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने तथा सरकार की आलोचना का अधिकार है।

की देन है। इस हेतु नागरिकों को विचारों की अभिव्यक्ति तथा दल निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

सामाजिक समानता की अवधारणा — प्रत्येक नागरिक को समाज की एक सम्मानित इकाई के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए तथा समान प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। समाज में धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर व्यक्तियों के भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। इस हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, जन्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा। साथ ही सार्वजनिक उपयोग की वस्तु से किसी को वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त छुआ-छूत को निषिद्ध कर दिया गया है। उपरोक्त किसी भी प्रकार के भेद-भाव करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने की भी व्यवस्था है।

यद्यपि भारत के समान अन्य विकासशील देशों में भी असमानता का अन्त करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु व्यवहार में आज भी विभिन्न देशों में सामाजिक असमानता का दृश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में निग्रो लोगों के साथ, भारत में स्त्रियों एवं शूद्रों के प्रति भेद-भाव, रूस में यहूदियों के प्रति सामाजिक भेद-भाव इत्यादि। यद्यपि सामाजिक असमानता के अन्त हेतु विश्व व्यापी स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। 1948 में ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के अन्तर्गत सामाजिक समानता पर पर्याप्त बल दिया था। दुनिया के पिछड़े वर्गों के हितों के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाये गए हैं। अतः यह सत्य है कि सामाजिक समानता को सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार कर लिया गया है किन्तु पूर्णतः इस लक्ष्य को पाना अभी बाकी है।

आर्थिक समानता की अवधारणा — आर्थिक समानता की अवधारणा लोकतंत्र की एवं विशेषकर समाजवादी देशों की सर्वाधिक लोकप्रिय अवधारणा है। समाजवादी विचारकों ने आर्थिक समानता को सभी प्रकार के समानता का आधार माना है।

मैडल ने आर्थिक समानता की व्याख्या करते हुए कहा है कि "इसका अर्थ है धन सम्बन्धी अन्तरों को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री व पुरुष को सांसारिक वस्तुएँ समान रूप से प्राप्त हों। आर्थिक समानता का सामान्य अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक पदार्थों के प्रयोग का समान अधिकार होगा। किन्तु व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि आर्थिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए। राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाए। परन्तु वास्तव में आर्थिक समानता का अर्थ न तो धन का समान वितरण है और न ही व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता से पूर्णतः मुक्त रखना है। बल्कि इसका सही तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार आर्थिक उपलब्धि का अवसर मिले तथा सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए।

सम्पत्ति का केन्द्रीकरण न हो तथा किसी के श्रम का उपयोग किसी
अन्य के लाभ के लिए न हो।

आर्थिक समानता के निम्नलिखित पक्ष हैं —

– प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता – यथा भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति होनी चाहिए।

– प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी एवं विकास के लिए पर्याप्त अवकाश मिलने चाहिए।

– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता एवं योग्यता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त भौतिक साधन, उपकरण तथा रहन-सहन के उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए।

– समाज में सम्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए।

– समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए।

– बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं अन्य असहाय परिस्थितियों में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

उपरोक्त व्यवस्थाओं को व्यवहार रूप देने तथा आर्थिक असमानता का अन्त करने हेतु मार्क्सवादियों एवं उदारवादियों ने भिन्न भिन्न उपायों का सहारा लिया है।

मार्क्सवाद निजी सम्पत्ति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का सुझाव देता है। इसकी यह मान्यता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व हो। सभी मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार सभी वस्तुएँ प्राप्त होंगी।

आधुनिक उदारवादी राज्य के सम्बन्ध में लोककल्याणकारी सिद्धान्त को अपनाता है। राज्य केवल समाज हित के दृष्टिकोण से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भौतिक साधनों एवं उद्योगों को अपने अधिकार में रखेगा तथा शेष निजी हाथों में छोड़ देगा। तथा निजी उद्योगों को भी उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित करेगा।

अर्द्ध साम्यवादी देशों में मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार ही आर्थिक समानता की प्राप्ति का प्रयास किया गया है — जबकि उदारवादी लोकतान्त्रिक राज्यों में आधुनिक उदारवादी विचारधारा के आधार पर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में भी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया गया है जिसका मूल उद्देश्य एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है।